फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोहनलाल | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 131 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 70/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131 भू.रा.अ. का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में मौजा माणक्यावास के आराजी नम्बर 2054/569 प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। उक्त आराजी के पश्चिम भू भाग की तरफ देलवाडा तहसील की सीमा होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित हैं। प्रार्थीगण के आराजी में सेग्रीगेशन के दौरान सरकारी आराजी नम्बर 569 राजस्व नक्शें मे पेमुद कर दिया है जबकि उक्त आराजी नम्बर प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 2054/569 के उत्तरी एवं पूर्वी भाग के सटमा स्थित हैं। इसलिए आराजी नम्बर 569 को प्रार्थीगण को कब्जे वाली भूमि से हटाया जाकर उत्तरी, पूर्वी भाग में सही रूप से पैमुद किया जाने का निवेदन किया हैं।

तहसीलदार मावली से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 2054/569 रकबा 1.4731 हेक्टेयर श्रीमान् उपजिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 134/80 जगन्नाथ बनाम राज्य में निर्णय दिनांक 08.10.80 से आराजी नम्बर 569 रकबा 10.16 बीघा में से 9 बीघा 2 बिस्वा भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने से वादी के नाम दर्ज हुई हैं। प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय करने पर प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हुई हैं। उक्त डिक्री में नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं है। डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत् वन टू वन मेपिंग के दौरान पटवारी हल्का द्वारा सेहवन से गलत दिशा में तरमीम हो गई है जो प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि कब्जा काश्त में दर्ज होना जाहिर आया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट में वादग्रस्त आराजी के पूर्व में आराजी नम्बर 567 चारागाह के सटमा होकर सम्पर्कित होना बताया हैं। मौके पर भूमि पडत पत्थरीली होकर आराजी नम्बर 569 रकबा 0.2752 हेक्टेयर भूमि चारागाह के समीप प्रस्तावित कर तरमीम शुद्वि किये जाने हेतु रिपोर्ट पेश की हैं। चारागाह रकबे में कोई कमी पेशी नहीं होना बताया हैं।

प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृ[illegible]ष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व [illegible] 569 किस्म चारागाह वन टू वन मेपिंग के दौरान सेहवन से [illegible] तरमीम हो गई हैं। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट, पर्चा [illegible], ग्राम पंचायत मांग[illegible] द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.05.2022 से भी उक्त गलत तरमीम की ताईद होती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भी सही तरमीम किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। तहसीलदार मावली द्वारा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे के आधार पर उक्त आराजी नम्बर 569 को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि से हटाकर अन्य चारागाह आराजी नम्बर 568 व 567 के समीप तरमीम कर नक्शा प्रस्तावित किया हैं। चूंकि राजस्व नक्शे में सही तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित नक्शें अनुसार कब्जे के आधार पर नक्शें में तरमीम किया जाना न्यायाहित में उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 2054/569 रकबा 1.4731 हेक्टेयर भूमि को राजस्व नक्शें में सही तरमीम कर आराजी नम्बर 569 को प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:29 IST
Reason: SelfAttested